**कुलसचिव**
**Registrar**

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष –0542 222689
**Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith**
**Varanasi-2**
**Phone- 0542 222689**

**पत्रांक :** कु0स0– स्थायी सम्बद्धता / 01/1094/2011, दिनांक : 07 मार्च, 2011

सेवा में,
प्रबंधक,
बनारस इन्स्टीच्यूट आफ टीचर्स एजूकेश्न,
निबाह, पिण्डरा, वाराणसी।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0 प्र0 शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–6 के पत्रांक **2989/सत्तर –6–2010–2 (61)/2009, दिनांक 30.08.2010** के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा 37(2) के अधीन प्राप्त सम्बद्धता विस्तरण की पूर्वानुमति पर विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने अपनी बैठक 09.12.2010 के विन्दु सं0 05 पर लिये गये निर्णय के अंतर्गत **बनारस इन्स्टीच्यूट आफ टीचर्स एजूकेशन, निबाह, पिण्डरा, वाराणसी** को स्नातक स्तर पर **बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

1. संस्था/महाविद्यालय के लिए शासन द्वारा निर्गत पत्र में उल्लिखित शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
3. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/ अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,
07.03.11
(आई0पी0झा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. माननीय कुलपति जी सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0 प्र0 शासन।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी
5. सम्बंधित पत्रावली।

(आई0पी0झा)
कुलसचिव